यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य च कत्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र वकास नगर देहारादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

कार्यालय च कत्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र वकास नगर देहारादून के माह 09/2015 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 14/02/2018 से 17/02/2018 तक श्री डी॰ के॰ पपलानी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/ लेखापरीक्षा अ धकारी के आं शक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया.

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रमोद चौधरी श्री वनीत निगम सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 24/09/2015 से 29/09/2015 तक श्री प्रेमचंद्र लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी. जिसमें माह 04/2013 से 08/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी. वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी.
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः वकास नगर ब्लाक के अंतर्गत समस्त ग्राम सभा एवं नगर पंचायत

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ ध क्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थाप ना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16			302.95	265.10	392.25	383.63		46.46
2016-17			311.29	262.02	582.41	533.78		97.90
2017-18 (01/2018)			--	--	755.07	696.45		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	लौटाई गयी धनरा श
2015-16	NHM	9.93	217.62	199.27	3.52
2016-17	NHM	24.76	189.86	188.84	8.89
2017-18 (01/2018)	NHM	7.98	64.34	46.20	6.74

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कया जाता है. गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई श्रेणी C की है. वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(अ) प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

(ब) महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

(स) मुख्य च कत्सा अ धकारी

(द) अतिरिक्त मुख्य च कत्सा अ धकारी

(य) प्रभारी च कत्सा अ धकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में मुख्य च कत्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र वकास नगर देहारादून को आच्छादित कया गया. समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है. यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य च कत्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र वकास नगर देहारादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है. माह 10/2017 एवं 02/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया.

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी.

भाग 2'ब'

प्रस्तर: 1 - मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियो से रु 14.47 लाख की रा श वसूल न कया जाना.

उत्तराखंड शासन द्वारा फरवरी 2015 में राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY) लागू करने का निर्णय लया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक APL तथा BPL परिवार (राजकीय कर्मचारी तथा पेंशनधारी परिवारों को छोड़कर) को नकद रहित च कत्सा उपचार की सु वधा दी गई है यह लाभ केवल अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की दशा में देय था। योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को योजना का लाभ मलना था. प्रत्येक परिवार का एक MSBY कार्ड बनेगा जिसके लए प्रत्येक परिवार को ₹ 30/ पंजीकरण शुल्क देय था बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹50,000/ तक निर्धारित कया गया है। योजना के अंतर्गत ₹335/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से बीमा कवर दिया जाना था, जो क सरकार द्वारा देय था। योजना के अंतर्गत एमएसबीवाई के अंतर्गत पंजीकृत च कत्सालयों को बीमा कंपनी के साथ द् वपक्षीय अनुबंध करना था एमएसबीवाई कार्ड धारकों को कसी भी पंजीकृत सरकारी च कत्सालयों में लाभ प्राप्त करने हेतु बीमा कंपनी द्वारा कसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी च कत्सालय द्वारा वेब पोर्टल में एमएसबीवाई मरीज के संबंध Pre Authorisation request अपलोड करनी होगी इसके बाद बीमा कंपनी तृतीय पक्ष प्रबन्धक के द्वारा मैदानी इलाके में 03 घंटे के अंदर और पर्वतीय इलाके में 04 घंटे के अंदर निश्चित करेगा क दावा भुगतान योग्य है अथवा नहीं। Pre Authorisation request के स्वीकृत होने पर च कत्सालय इलाज प्रारम्भ करेगा तथा अस्वीकृति की स्थिति में उपचार योजना के अनुसार कार्य करेगा, मरीज के अस्पताल से जाने के समय च कत्सालय वेब पोर्टल में समस्त दावों संबंधी दस्तावेज़ अपलोड करेंगे। अनुबंध की शर्तों के अनुसार बीमा कंपनी को समस्त संबन्धित दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के 30 कार्य दिवसों के अंदर समस्त बिलों का भुगतान करना था।

स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबन्धित अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क स्वास्थ्य केंद्र द्वारा निम्नानुसार बीमा कंपनियों से च कत्सा पर हुये व्यय की रा श ₹14,47,100/ वसूल नहीं की जा सकी है

प्रथम चरण (जुलाई 2016 तक) यूनाइटेड इन्श्युरेंस कंपनी

कुल प्रकरण-372

दावा की गई रा श - ₹33,89,350/

भुगतान प्राप्त -₹22,53,850/ (253 प्रकरण)

प्राप्त नहीं हो सकी रा श – 11,35,500/

द् वतीय चरण (अगस्त **16** से अब तक) बजाज अलाइंज

कुल प्रकरण-271

दावा की गई रा श- ₹23,73,650/

भुगतान प्राप्त – 20,62,050

प्राप्त नहीं हो सकी रा श -₹3,11,600/

आगे जांच मे पाया गया क 04/2015 से 01/2018 बीमा कंपनी द्वारा धनरा श रु 5,58,250 के 41 दावे Reject कए गए।

इस प्रकार MSBY के दो चरणो मे बीमा कम्पनियो से रु 14.47 लाख की रा श वसूल नहीं की जा सकी इस सम्बन्ध मे अवगत कराने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क दस्तावेज़ अपूर्ण रहने के कारण दावे reject एवं लम्बित कए गए। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क इलाज करते समय लाभा र्थयो से जरूरी दस्तावेज़ लेकर उनको अपलोड कया जाना चाहिए था।

अतः मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियो से रु 14.47 लाख की रा श वसूल न कये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 2 जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु 103.60 लाख का अनिय मत व्यय.

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 मे प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती माहिलाओ को संस्थागत प्रसव के लए प्रोत्साहित करना था ता क मातृ एवं शशु मृत्यु की दर को कम कया जा सके जननी सुरक्षा योजना की निर्दे शका के अनुसार सरकारी अस्पतालों मे संस्थागत प्रसव कराने पर माहिलाओ को प्रोत्साहन रा श के रूप मे ग्रामीण क्षेत्र मे रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र मे रु 1000 का भुगतान चैक के माध्यम से कया जाना चाहिए . योजना के अधीन प्रोत्साहन नि ध के वतरण हेतु निर्धारित शर्तो के अनुसार (i) प्रसव की संभा वत ति थ से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे॰एस॰वाई॰ कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजो सहित उसे प्रसव की संभा वत ति थ से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केंद्र के अ धकृत च कत्सा अ धकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत कया जाना चाहिए ता क लाभार्थी को डस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन रा श प्रदान की जा सके (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र मे रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को च कत्सालय से डस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से देय रा श का भुगतान कया जाना चाहिए एवं (iv) प्रसव के सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात कया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जाएगा.

कार्यालय च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वकास नगर के जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित लेखा अ भलेखों की नमूना जांच मे पाया गया क केंद्र मे वर्ष 2015-16 से 01/2018 तक कुल 5426 संस्थागत प्रसव हुये, जिनको ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित रु 1400 एवं शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित रु 1000 क दर से 5426 लाभा र्थयो को 103.60 लाख का भुगतान कया गया.

इस प्रकार भुगतान का ववरण निमन्वत है:-

वर्ष	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	कुल प्रदत्त राशि @ 1400
2015-16	1932	1932	37.81
2016-17	1870	1870	36.91
2017-18 (01/2018 तक)	1624	1624	28.88
योग:–	**5426**	**5426**	**103.60**

अ भलेखो की जांच मे पाया गया क 04/2015 से 01/2018 तक की अव ध मे जननी सुरक्षा के प्रत्येक मामले मे JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जब क दिशा निर्देशों के अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभा वत ति थ से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए एवं प्रसव के बाद च कत्सा धकारी को भुगतान के इस बात का प्रमाण पत्र देना चाहिए था क लाभार्थी JSY के मानदंडो के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है. आगे जांच मे पाया गया 2017-18 के 451 प्रकरणों मे रु 6.31 लाख के भुगतान की ति थ अं कत नहीं है.

लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण को इं गत कए जाने पर इकाई ने अवगत कराया क JSY कार्ड प्रसव के समय भरे गए थे, प्रसव के बाद लाभार्थी 48 घंटे तक स्वास्थ्य केंद्र मे नहीं रुकते है एवं लेखाकार के अवकाश पर रहने के कारण ति थ अं कत नही की गयी. उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क कसी भी स्तर पर दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कया गया.

अतः जननी सुरक्षा योजना योजना के अंतर्गत रु 103.60 लाख के अनिय मत व्यय का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है.

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
98/2015-16	--	1,2,3,4	1,2,3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार नहीं की गयी थी तथा लेखा परीक्षा दल को यह अवगत कराया गया था क वगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार कर सीधे महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य च कत्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र वकास नगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है. तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i)

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा॰ वनोद कुमार ढोंडीयाल	च कत्सा अधीक्षक
(ii)	डा॰ केशर संह चौहान	च कत्सा अधीक्षक
(iii)	डा॰ कमाल कुमार शर्मा	च कत्सा अधीक्षक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति मुख्य च कत्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र वकास नगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रे षत कर दी जांय.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.